सं0-30/2021/179/23-12-2021-जी0आई0-66/2016टीसी

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2021

विषय:-केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में चालू कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र सं0-14019बीजी/7बी-मांग/2020-21, दिनांक 15.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत अग्रतालिका में अंकित 03 चालू कार्यों हेतु निम्नानुसार रू0 987.89 लाख (रू0 नौ करोड़ सत्तासी लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	कार्य का नाम	लम्बाई	स्वीकृत/ प्राविधिक लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि0ख0-2, गाजियाबाद	963/23-12-18-549/2017, दि0-07.05.2018	मोहननगर-लोनी-वजीराबाद मार्ग के चैनेज 5.400 से 14.400 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	9.00	4888.64	3688.30	300.00
2	प्रा0ख0, बलरामपुर	963/23-12-18-549/2017, दि0-07.05.2018	तुलसीपुर कोयलावासा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	24.60	5609.86	5241.48	87.89
3	नि0ख0, सोनभद्र	963/23-12-18-549/2017, दि0-07.05.2018	वाराणसी शक्तिनगर मार्ग	18.42	12159.50	6323.70	600.00
			योग	**52.02**	**22658.00**	**15253.48**	**987.89**

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उस का व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा नही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(7) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंन्ता द्वारा रोड सेफ्टी का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-800-अन्य व्यय-04-केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य-0421-सडकों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो के लिये व्यवस्था (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-13/2020/बी-1-765/दस-2020-231/2020, दिनांक 23.12.2020 एवं शासनादेश सं0-2/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-30/2021/179(1)/23-12-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्रीजी/मा0 लोक निर्माण मंत्री,लो0नि0वि0,उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
10- लोक निर्माण अनु0-10
11- डाटा सेल, विकास भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।